न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– यशपाल आहुजा आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद संख्या 125/2017

1. मनप्रीत सिंह पुत्र श्री गुरसेवक सिंह जाति जटसिख निवासी 1 एल.एन.पी. (चक महाराज का) तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

– – वादी

–:: बनाम ::–

1. गुरसेवक सिंह पुत्र श्री हरचरण सिंह जाति जटसिख निवासी 1 एल.एन.पी (चक महाराज का) तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. वीरपाल कौर पुत्री श्री गुरसेवक सिंह जाति जटसिख निवासी 1 एल एन पी (चक महाराज का) तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर।

– – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53, आर.टी.ए. बाबत घोषणा एवम् खाता तकसीम

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1.	श्री संजय जनवेजा अधिवक्ता	वादी
2.	श्री रोबिन कुमार गुम्बर अधिवक्ता	प्रतिवादी संख्या 1 ता 5

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 07.07.2017

वादीगण ने प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 53, 88 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसका संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि वादी के पिता, प्रतिवादी संख्या 1 गुरसेवक सिंह के नाम से चक 1 एल.एन.पी. के खाता संख्या 44/40 (मुताबिक जमाबन्दी सम्बत् 2067–2070) का मुरब्बा नम्बर 52 व 69 की कुल 9.487 हैक्टर नहरी भूमि में से 1.580 हैक्टर नहरी कृषि भूमि व चक 12 बी.जी.एस तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 115/3 के मुरब्बा नम्बर 10 की 2.530 हैक्टर में से 2.008 हैक्टर नहरी कृषि भूमि कागजात माल है। जो कि प्रतिवादी संख्या 1 की पैतृक सम्पत्ति है। जो कि प्रतिवादी संख्या 1 को विरासत में प्राप्त हुई है। नकल जमाबन्दी संलग्न वाद पत्र है।

इस प्रकार उक्त वर्णित कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1, प्रतिवादी संख्या 2 तथा वादी की पैतृक सम्पत्ति हैं तथा जद्दी जायदाद होने के कारण उक्त वर्णित पैतृक सम्पत्ति में वादी व प्रतिवादी संख्या 2 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ हक बनता है। प्रतिवादी संख्या 2 ने अपना हिस्सा वादी को देने का कहा हुआ है तथा उक्त पैतृक भूमि में से अपने हिस्सा का परित्याग किया हुआ है।

इस प्रकार से उक्त कृषि भूमि वादी तथा प्रतिवादीगण की मुशतरका खाता की भूमि है, प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा उक्त भूमि का बंटवारा वादी के साथ करके घरू बंटवारा के अनुसार वादी को चक 1 एल.एन.पी. के खाता संख्या 44/40 (मुताबिक जमाबन्दी सम्बत् 2067–2070) का मुरब्बा नम्बर 52 व 69 की कुल 9.487 हैक्टर नहरी

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

भूमि में से 1.580 हैक्टर नहरी कृषि भूमि बंटवारा में दी हुई है, जिस पर वादी काबिज चला आ रहा है तथा मौका पर काश्त कर रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादी को कहा हुआ है कि जब भी तुम चाहोगे, सहमति से बंटवारा तुम्हारे नाम करवा दूंगा। इस विश्वास पर वादी ने उक्त रकबा में मेहनत करके सुधार कार्य करवाया है।

कुछ दिन पूर्व वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 से कहा कि वह वादी के हिस्सा की भूमि वादी के नाम से अमल दरामद करवा देवे, पहले तो प्रतिवादी संख्या 1 टाल मटोल करता रहा तथा दिनांक 15.06.2017 को प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी को उसके हिस्से की भूमि देने से इन्कार कर दिया है। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1, वादी को हक व न्याय नही देना चाहता है। यही वाद कारण है।

उक्त हालातों मे उक्त जददी जायदाद में से वादी अपने अधिकारों की घोषणा करवाना चाहता है।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वाद पत्र बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री किया जावे :–

1. वादी को चक 1 एल.एन.पी. के खाता संख्या 44/40 (मुताबिक जमाबन्दी सम्बत् 2067–2070) का मुरब्बा नम्बर 52 व 69 की कुल 9.487 हैक्टर नहरी भूमि में से 1.580 हैक्टर नहरी कृषि भूमि का खातेदार घोषित किया जावे तथा उक्त भूमि वादी के नाम से दर्ज करवाई जाकर, लगान कायम करने का आदेश फरमाया जावे।
2. अन्य कोई अनुतोष जो न्यायालय उचित समझे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ सम्मन तलब किया गया। वादी एवम् प्रतिवादी के मध्य आपसी राजीनामा होनें के कारण न्यायालय में उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया जिसको वादी एवम् प्रतिवादी द्वारा पढ़नें समझने के बाद हस्ताक्षर किये वादी की पहचान श्री संजय जनवेजा अधिवक्ता तथा प्रतिवादी की पहचान श्री रोबिन गुम्बर अधिवक्ता द्वारा किये जानें पर राजीनामा तस्दीक किया गया।

वादी एवम् प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत राजीनामा में कथन किया गया कि प्रकरण में गांव के मौजूज व्यक्तियों ने वादी एवं प्रतिवादीगण का आपस में राजीनामा करवा दिया है, अब वादी एवं प्रतिवादी के मध्य कोई मनमुटाव नहीं रहा है तथा पंचायत द्वारा वादी एवं प्रतिवादी की आपसी सहमति से भूमि का बंटवारा करवा दिया है तथा बंटवारा अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादी को घरू बंटवारानामा अनुसार निम्न प्रकार से उसका हिस्सा दे दिया है:–

<u>वादी मनप्रीत सिंह का हिस्सा</u> :– चक 1 एल.एन.पी. के खाता संख्या 44/40 (मुताबिक जमाबन्दी सम्बत् 2067–2070) का मुरब्बा नम्बर 52 व 69 की कुल 9.487 हैक्टर नहरी भूमि में से 1.580 हैक्टर नहरी कृषि भूमि

वादी एवं प्रतिवादी ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर यह राजीनामा किया है। अतः उक्त वर्णित अनुसार वाद पत्र डिक्री कर दिया जावे तथा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर दिया जावे तो पक्षकारान को कोई उजर वा एतराज ना होगा।

राज पैरोकार द्वारा राज्य सरकार की और से जबाब प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत कथन किया कि वाद पत्र वर्णित भूमि का पक्षकारान के मध्य आपसी विवाद है राज्य पक्ष से कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। सुनवाई राज्य पक्ष के हितो को ध्यान में रखते हुए निर्णय पारित किया जावे तो राज्य पक्ष को कोई आपत्ति नहीं होगी।

लगातार 3

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

चुँकि प्रकरण में वादीगण एवम् प्रतिवादी के मध्य कोई प्रतिवाद नहीं होनें से तनकियात नहीं बनाई गई। वादीगण एवम् प्रतिवादीगण द्वारा साक्ष्य शपथ पत्र पेश किये। वादी एवम् प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामे तथा शपथ पत्र पर बहस सुनी गई दौरानें बहस विद्धान अधिवक्ता नें वाद एवम् राजीनामा में दिये गये कथनों को दोहराते हुए उसी अनुसार वाद डिक्री किया जाकर वाद का निर्णय करनें हेतु निवेदन किया।

हमने वादीगण एवम् प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। विद्धान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। जिसके अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 गुरसेवक सिंह के नाम से चक 1 एल.एन.पी. के खाता संख्या 44/40 (मुताबिक जमाबन्दी सम्बत् 2067–2070) का मुरब्बा नम्बर 52 व 69 की कुल 9.487 हैक्टर नहरी भूमि में से 1.580 हैक्टर नहरी कृषि भूमि व चक 12 बी.जी.एस तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 115/3 के मुरब्बा नम्बर 10 की 2.530 हैक्टर में से 2.008 हैक्टर नहरी कृषि भूमि कागजात माल है। जो कि प्रतिवादी संख्या 1 की पैतृक सम्पत्ति है।

जिसमे से वादी अपना हक घोषित करवाने के अधिकारी होना न्यायोचित पाये जानें पर उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के तहत वादी मनप्रीत सिंह पुत्र श्री गुरसेवक सिंह जाति जटसिख निवासी 1 एल.एन.पी. (चक महाराज का) तहसील व जिला श्रीगंगानगर को चक 1 एल.एन.पी. के खाता संख्या 44/40 (मुताबिक जमाबन्दी सम्बत् 2067–2070) का मुरब्बा नम्बर 52 व 69 की कुल 9.487 हैक्टर नहरी भूमि में से 1.580 हैक्टर नहरी कृषि भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। नियमानुसार स्टाम्प डयुटी प्रस्तुत किये जानें पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिनाक 07.07.2017 को लिखवाया जाकर राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार अभियान 2017 के अन्तर्गत खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर